

पत्राक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

14-10-22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष कान हीजर
नहीं है। पत्रावली दिनांक 24.3.22 से तलबी
में विचाराधीन है। वकील प्रार्थी द्वारा तलबी नहीं
करवायी जा सकी है। मूल वाद अदम हाजरी
व तलबी अभाव में स्वारिज किया जा चुका
है। अतः पत्रावली में आगे कार्यवाही को रोक दिया
है। अतः प्रार्थना- पत्र पत्रावली वाक्य अन्वय
निष्पत्ति (न.न.) अन्तर्गत 09-R-3 CPC
व 0-9K-5 CPC के एतद्वारा स्वारिज की
जाती है। पत्रावली के सल शुमार होकर गंवर
से कम है। आदेश खुले-नायालय में युग्म
जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा
से जारी किया जाय।

